रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 1976/वैशाख 28, 1898
No. 175] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 1976/VAISAKHA 28, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May 1976

G.S.R. 344(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the High Court Judges Travelling Allowance (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 1A of the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), clause (a) shall be re-lettered as clause (aa) thereof, and before the clause as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

'(a) "full wagon" means—

(1) between places connected by rail	(a) *By goods train*— any quantity upto the maximum carrying capacity of a wagon and "wagon" means a 4-wheeler wagon only;
	(b) *By passenger train or by road*— the mileage allowance will be limited to the amount chargeable for 6,000 kilograms by goods train;
(2) between places not connected by rail	6,000 kilograms.'.

3 In rule 2 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1),—

(1) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) when travelling by railway,—

(i) to a reserved two-berth compartment of the highest class including air-conditioned and if one such compartment is not available, then to a reserved four-berth compartment of the highest class (but excluding air-conditioned);

(ii) if such a compartment is provided, to take his wife along with him without payment of the fare; and

(iii) to the fares at the lowest class rates actually paid for servants not exceeding two in number;";

(2) clauses (dd) and (ddd) shall be omitted;

(3) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) to a daily allowance at the rate of Rs 35/- for the entire period of absence from headquarters, the absence being reckoned from the time of departure from headquarters to the time of return to headquarters:

Provided that the daily allowance so admissible shall be regulated as follows:—

(i) full daily allowance for each completed day, that is, reckoned from mid-night to mid-night;

(ii) for absence from headquarters for less than twenty-four hours, the daily allowance shall be at the following rates, namely:—

(1) if the absence from headquarters does not exceed six hours, 30% of the full daily allowance;

(2) if the absence from headquarters exceeds six hours, but does not exceed twelve hours, 50% of the full daily allowance;

(3) if the absence from headquarters exceeds twelve hours, full daily allowance;

(iii) if the date of departure from and return to headquarters fall on different dates, the period of absence from headquarters shall be reckoned as two days and daily allowance shall be calculated for each day as in clause (ii):

Provided further that—

(i) when a Judge is required to perform functions outside his normal duties in localities away from his headquarters he may, subject to such conditions as the President may in each case determine, be granted daily allowance not exceeding Rs. 45/- in respect of ordinary localities and daily allowance not exceeding Rs. 50/- and

transport charges not exceeding Rs. 10/- per day in respect of specially expensive localities like Bombay, Calcutta or any other locality so declared hereafter by the President and shall also be entitled to Government accommodation at the same rates as for Government servants;

(ii) when a Judge is required to perform his normal duties away from his headquarters and in specially expensive localities like Bombay, Calcutta or any other locality so declared hereafter by the President, he may be granted a daily allowance of Rs. 42/-;

(iii) when a Judge is required to perform similar functions, whether part-time or whole-time in his own headquarters, he shall not be paid any allowance or charges unless the special work involves extra expenses in which case he may be granted such allowance not exceeding Rs. 35/- per day as the President in each case determine;

(iv) when a Judge is a State guest or is allowed to avail free board and lodging at the expense of the Central or State Government or any autonomous industrial or commercial undertakings or corporation or a statutory body or a local authority, in which Government funds have been invested or in which Government have any other interest, the daily allowance shall be restricted to 25 per cent. of the amount admissible or sanctioned; and if only board or lodging is allowed free, the Judge may draw daily allowance at one-half of the admissible rate.";

(ii) in sub-rule (2) for the brackets and words "(other than servants)", the brackets and words "(other than wife and servants)" shall be substituted.

4. To rule 5A of the said rules, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that a Judge of the Delhi High Court shall draw the same travelling allowance as is admissible for such journey to a member of the All India Service holding the rank of a Joint Secretary to the Government of India.".

5. In rule 6 of the said rules,—

(i) in clause (f) for the figures and words "2240 kilograms of goods by road and by goods train or steamer", the words "a full wagon of goods" shall be substituted;

(ii) for the *Explanation*, the following Explanation shall be substituted, namely:—

'*Explanation*.—For the purpose of this rule and rules 7A, 7B, 7C and 7D, "members of a Judge's family" means his wife, his children, his step-children, parents, sisters and minor brothers normally residing with, and wholly dependent on him.'.

6. To rule 7B of the said rules, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that a Judge of a Delhi High Court shall be entitled to travel concession under this rule in accordance with rule 2 of the High Court Judges Rules, 1956, read with the rules applicable in this behalf to a member of the Indian Administrative Service holding the rank of a Joint Secretary to the Government of India.".

7. In the proviso to sub-rule (1) of rule 7C of the said rules,—

(i) in clause (a),—

(1) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(i) actual first class fare for every member of the family;";

(2) in sub-clause (ii), for the figures and words "2240 kilograms by goods train or steamer or both", the words "a full wagon" shall be substituted;

(ii) in clause (b), in sub-clause (ii), for the figures and words "2240 kilograms by goods train", the words "a full wagon" shall be substituted;";

(iii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) for journeys by the modes referred to in clauses (a) and (b), daily allowance at the same rates as are admissible to a Judge when he travels on duty and the provisions of clause (c) of sub-rule (1) of rule 2 shall, as far as may be, apply.";

(iv) the *Explanation* shall be omitted:

8. In rule 7D of the said rules,—

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(b) the Judge and every member of his family shall be entitled to a daily allowance in respect of the journeys by the modes referred to in clauses (a) and (b), at the same rates as are admissible to a Judge when he travels on duty and the provisions of clause (e) of sub-rule (1) of rule 2 shall, as far as may be, apply.";

(ii) in clause (d), for the figures and words "2240 kilograms of goods by road and by goods train or steamer", the words "a full wagon" shall be substituted;

(iii) the *Explanation* shall be omitted.

9. Nothing contained in these rules shall have effect so as to give to a Judge who is serving as such at the commencement of these rules less favourable terms in respect of his travelling and daily allowances than those to which he would be entitled, if these rules had not been made.

[No. 19/122/74-Jus.]

P. P. NAYYAR, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1976

सा० का० नि० 344 (इ).—केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 क में, खण्ड (क) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः अंकित खण्ड के पहले निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) परिभाषा—"पूरा वैगन" से अभिप्रेत है—

(1) रेल से जुड़े हुए स्थानों के बीच	(क) **माल गाड़ी द्वारा**	वैगन की अधिकतम वहन क्षमता तक कोई भी मात्रा। "वैगन" से केवल चार पहियों वाला वैगन अभिप्रेत है ;
	(ख) **सवारी गाड़ी द्वारा या भूमार्ग से**	मील भत्ता माल गाड़ी से 6,000 किलोग्राम के लिए प्रभार्य रकम तक सीमित होगा।
(2) उन स्थानों के बीच जो रेल से जुड़े हुए नहीं हैं।		6,000 किलोग्राम

3. उक्त नियमों के नियम 2 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) जब रेल से यात्रा की जाए,—

(i) उच्चतम दर्जे का, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित दर्जा भी है, आरक्षित दो बर्थ वाला कक्ष, और यदि ऐसा एक कक्ष उपलब्ध न हो तो उच्चतम श्रेणी का (जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित दर्जा नहीं है) चार बर्थ वाला आरक्षित कक्ष) ,

(ii) यदि ऐसा कक्ष उपलब्ध कराया जाता है तो किराए का संदाय किए बिना अपनी पत्नी को साथ ले जाने के हकदार होंगे ; और

(iii) अधिक से अधिक दो सेवकों के लिए वस्तुतः संदत्त निम्नतम दर्जे की दर से किराया ;

(2) खण्ड (घघ) और (घघघ) का लोप किया जाएगा ;

(3) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ङ) मुख्यालय से अनुपस्थिति की समस्त अवधि के लिए 35 रुपये की दर से दैनिक भत्ता; अनुपस्थिति की गणना मुख्यालय से रवाना होने के समय से मुख्यालय वापिस आने के समय तक की जाएगी ।

परन्तु इस प्रकार से अनुज्ञेय दैनिक भत्ता निम्नलिखित प्रकार से विनियमित किया जाएगा :—

(i) प्रत्येक सम्पूर्ण दिन के लिए, अर्थात् अर्ध रात्रि से अर्ध रात्रि तक गणना करके, पूरा दैनिक भत्ता;

(ii) मुख्यालय से चौबीस घंटे से कम की अनुपस्थिति के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दर से होगा, अर्थात् :—

(1) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति छः घंटे से अधिक की नहीं है तो पूरे दैनिक भत्ते का 30 प्रतिशत;

(2) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति छः घंटे से अधिक की है किन्तु बारह घंटे से अधिक की नहीं है तो पूरे दैनिक भत्ते का 50 प्रतिशत;

(3) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति बारह घंटे से अधिक की है तो पूरा दैनिक भत्ता;

(iii) यदि मुख्यालय से रवाना होने और वहां वापिस आने की तारीखें भिन्न हैं तो मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि की गणना दो दिन के रूप में की जाएगी और प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ते की गणना खण्ड (ii) में दिए गए के अनुसार की जाएगी : —

परन्तु यह और कि —

(i) जब न्यायाधीश से अपने मुख्यालय से अलग किन्हीं स्थानों पर अपने प्रसामान्य कर्त्तव्यों से परे किन्हीं कृत्यों के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है तो उसे, ऐसी शर्तों पर जो राष्ट्रपति प्रत्येक मामले में अवधारित करें, सामान्य स्थानों की बाबत [45

रुपये से अधिक दैनिक भत्ता और विशेष रूप से व्यवसाध्य स्थानों की बाबत, जैसे मुम्बई, कलकत्ता या कोई अन्य स्थान जिसे राष्ट्रपति द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, 50 रुपये से अनधिक दैनिक भत्ता और 10 रुपये प्रति दिन से अनधिक परिवहन भत्ता मंजूर किया जा सकता है तथा वह पदावास सुविधा का भी उन्हीं दरों पर हकदार होगा जो सरकारी सेवकों के लिए हैं ;

(ii) जब न्यायाधीश से अपने मुख्यालय से कहीं अलग और विशेष रूप से व्यवसाध्य स्थानों पर, जैसे मुम्बई, कलकत्ता या कोई अन्य स्थान जिसे इसके पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, किन्हीं कृत्यों का निर्वहन की अपेक्षा की जाती है तो उसे 42 रुपया दैनिक भत्ता मंजूर किया जा सकता है;

(iii) जब न्यायाधीश से अपने ही मुख्यालय में, चाहे पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक, वैसे ही कृत्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे तब तक कोई भत्ता या व्यय संदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उस विशेष कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय न करना पड़े और वैसी दशा में उसे 35 रुपये प्रतिदिन से अनधिक उतना भत्ता, जितना कि राष्ट्रपति प्रत्येक मामले में अवधारित करे, मंजूर किया जा सकता है;

(iv) जब न्यायाधीश राज्य अतिथि हो या उसे निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधा केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी ऐसे स्वशासी औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम या निगम या कानूनी निकाय या स्थानीय प्राधिकारी, जिस में सरकार निधि का विनिधान किया गया हो अथवा जिस में सरकार का कोई अन्य हित हो, के व्यय पर प्राप्त करना अनुज्ञात है, वहां दैनिक भत्ता अनुज्ञेय अथवा मंजूर की गई रकम के 25 प्रतिशत तक सीमित होगा ; और यदि केवल निःशुल्क भोजन अथवा आवास अनुज्ञात है तो न्यायाधीश अनुज्ञेय दर के आधे की दर से दैनिक भत्ता ले सकता है ।" ;

(ii) उपनियम (2) में, "(सेवकों से भिन्न)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(पत्नी और सेवकों से भिन्न)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 5क के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उतना ही यात्रा भत्ता लेगा जो ऐसी यात्रा के लिए अखिल भारतीय सेवा के उस सदस्य को, जो भारत सरकार में नियुक्त सचिव की रैंक धारण कर रहा है, अनुज्ञेय है ।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 में,—

(i) खण्ड (च) में, "भूमार्ग से और मालगाड़ी या स्टीमर से 2240 किलोग्राम माल" शब्दों और अंकों के स्थान पर "पूरा वैगन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण— इस नियम और नियम 7क, 7ख, 7ग और 7घ के प्रयोजनों के लिए, "न्यायाधीश के परिवार के सदस्य" से अभिप्रेत है उसकी पत्नी, उसकी संतान, उसकी सौतेली संतान, माता-पिता, बहिनें और अवयस्क भाई जो सामान्यतः उस के साथ निवास करते हैं, और उस पर पूर्णतया निर्भर हैं ।"

6. उक्त नियमों के नियम 7ख के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस नियम के अधीन यात्रा सुविधा का, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उस सदस्य को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक धारण कर रहा है, लागू नियमों के साथ पठित, उच्च-न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 के नियम 2 के अनुसार, हकदार होगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 7ग के उपनियम (1) के परन्तुक में,—

(i) खण्ड (क) में, —

(1) उपखण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रथम दर्जे का वास्तविक किराया," ;

(2) उपखण्ड (ii) में, "मालगाड़ी से या स्टीमर से या दोनों से 2240 किलोग्राम" शब्दों और अंकों के स्थान पर "पूरा वैगन" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (ii) में, "मालगाड़ी से 2240 किलोग्राम" शब्दों और अंकों के स्थान पर "पूरा वैगन" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट साधनों से यात्राओं की दशा में, उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता जो न्यायाधीश को तब अनुज्ञेय है जब वह कर्तव्य पर यात्रा करता है और नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ङ) के उपबन्ध, यावत्-शक्य, लागू होंगे।

(iv) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 7छ में,—

(i) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खख) न्यायाधीश और उस के परिवार का प्रत्येक सदस्य खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट साधनों से की गई यात्राओं के सम्बंध में उन्हीं दरों पर दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो न्यायाधीश को तब अनुज्ञेय है जब वह कर्तव्य पर यात्रा करता है और नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ङ) के उपबन्ध, यावत्शक्य, लागू होंगे। ;"

(ii) खण्ड (घ) में, "भूमार्ग से और रेलगाड़ी या स्टीमर से 2240 किलोग्राम माल" शब्दों और अंकों के स्थान पर "पूरा वैगन" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) स्पष्टिकरण का लोप किया जाएगा।

9. इन नियमों की कोई बात इस प्रकार से प्रभावी नहीं होगी कि किसी न्यायाधीश को, जो इन नियमों के आरम्भ पर न्यायाधीश के रूप में सेवारत है, उसके यात्रा और दैनिक भत्तों की बाबत उन निबन्धनों से कम अनुकूल निबन्धन प्रदान करे जिनका कि वह इन नियमों के न बनाए जाने की दशा में हकदार होता।

[सं० 19/122/74—न्याय]

पी० पी० नय्यर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976